



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-03092026-275974
CG-TL-E-03092026-275974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4664]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 4664]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र-II

सिकंदराबाद, 28 अगस्त, 2026

का.आ. 4851(अ).— भारत सरकार, रेल मंत्रालय की अधिसूचना, जो का.आ. 2229(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) दिनांकित 19 मई 2025 को “तेलंगाना राज्य के हनुमाकोंडा एवं जनगांव जिलों में स्थित समपार फाटक संख्या 54, कि.मी. 313/24-26 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल का निर्माण” के संबंध में प्रकाशित हुई थी, में रेल मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धिपत्र तैयार करता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	इस रूप में प्रकाशित	इस प्रकार पढ़ा जाए
1	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 के एस.ओ. 2229(अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37 क) , दिनांकित 19 मई 2025 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “नाशिकल और पिनडियाल में किमी 313/24-26 पर समपार फाटक सं. 54 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य के हनुमाकोंडा जिला में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 के का.आ. 2229(अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37 क) , दिनांकित 19 मई 2025 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “नष्कल और पिनडियाल में किमी 313/24-26 पर समपार फाटक सं. 54 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य के हनुमाकोंडा एवं जनगांव जिलों में

राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है.	भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है.
---	---

[फा. सं. RSP/SC/Gazette/37A/LC.54/SC-KZJ/SC/Corri/02]

जे. सधर्मा देव राँयल, मुख्य इंजीनियर/नि/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railways)****CORRIGENDUM-II**

Secunderabad, the 28th August, 2026

S.O. 4851(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Railways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 19th May 2025 vide S.O. 2229(E) regarding “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 54 at Km 313/24-26 in the Districts of Hanumakonda and Jangaon, in the of State of Telangana” the Ministry of Railways hereby makes the following corrigendum as detailed below:

S.No.	Published as	To be read as
1	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 dated 19th May 2025 vide S.O. 2229(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 54 at Km. 313/24-26 in between Nashikal and Pindial stations” as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telanagana in the District of Hanumakonda for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 dated 19th May 2025 vide S.O. 2229(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 54 at Km. 313/24-26 in between Nashkal and Pindial stations” as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telanagana in the Districts of Hanumakonda and Jangaon for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. RSP/SC/Gazette/37A/LC.54/SC-KZJ/SC/Corri/02]

J. SADHARMA DEV ROYAL, Chief Engineer/C/RSP